सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

(1250, तुलसी नगर, भोपाल–462003)
दूरभाष–कार्या. 2558916, निवास–2431863, फैक्स–2552865
Toll free Helpline for person with Disability–(1800 233 4397)
(ई–मेल : dpswbpl@nic.in)

क्रमांक / नि:क–3 / 50 / मान्यता / 2012–13 / 842 भोपाल,दिनांक 16/5/2013
प्रति,

अध्यक्ष,
आधार फाउण्डेशन,
आयुष ढाबा के पीछे,
इकरा कॉन्वेंट स्कूल के पास,
मोहामा, पोस्ट कुम्हालीकलां, परासिया रोड,
छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश

विषय:– विभागीय मान्यता – अशासकीय संस्था "आधार फाण्डेशन" जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश ।

– 0–

कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पत्र कं/5753/दिनांक 5.3.2013 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव तथा कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर अशासकीय संस्था– " आधार फाण्डेशन" **जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश को** नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में विभागीय मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

विभागीय मान्यता की शर्तें

1. संस्था निश्चित प्रयोजन के लिये जाति–पाति, वर्ण, धर्म, भाषा के भेदभाव के बिना राजनीति से परे रहकर नि:स्वार्थ सेवा करेगी ।
2. संस्था शासन/संचालनालय तथा विभागीय अधिकारियों के आदेशों, निर्देशों का तत्परता पूर्व पालन करेगी ।
3. संस्था नियमानुसार निर्दिष्ट समस्त आवश्यक अभिलेख रखेगी एवं जानकारी प्रस्तुत करेगी ।
4. संस्था जनहित, राष्ट्रहित एवं शासन के हितो के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेगी ।
5. संस्था शैक्षणिक गतिविधियाँ–नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य रूप से कर जनजागरण करेगी ।
6. संस्था को विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा संस्था द्वारा सामाजिक न्याय की योजनाओं के कार्यकलापों पर किये गये कार्यों की रिपोर्ट त्रैमासिक जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय, छिंदवाड़ा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था को दी गई मान्यता, अनुदान के लिये बाध्यता नहीं है ।
8. विभागीय अनुदान हेतु आवेदन किये जाने के लिये अनुदान नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा ।
9. संस्था को स्वीकृत अनुदान का संस्था द्वारा दुरूपयोग या वित्तीय अनियमितता करने पर संस्था की मान्यता समाप्त करने के साथ ही वसूली योग्य राशि के लिये संस्था की प्रॉपर्टी राजसात की जा सकेगी ।

10. यदि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ नहीं पाई गई एवं संस्था के कार्यकलाप नियमो के विपरीत पाये गये तो मान्यता तत्काल वापस ली जावेगी ।
11. शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर प्रशिक्षित योग्य शिक्षक, आडिट, आरक्षण नियमों का पालन करना होगा । विशेषकर नि:शक्तजनों के लिए आरक्षण आदि का भी पालन करना होगा ।
12. संस्था द्वारा संचालित गतिविधियो को प्रदर्शित करने एवं अद्यतन सेवाओं/ सुविधाओं के उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी अपनी स्वयं की बेवसाईट्स पर सदैव उपलब्ध करानी होगी।
13. संस्था के कार्यकलापों पर कलेक्टर एवं उप संचालक, सामाजिक न्याय जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश का प्रशासकीय नियंत्रण एवं संचालनालय के अतिरिक्त वे इस संस्था को मार्गदर्शन एवं निर्देशन करेंगे ।
14. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना आयोग प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक 1–1/सूआप्र/ 08/ 1–9 दिनांक 6/3/2009 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी ।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं एफ–11–17/97/1/9 दिनांक 18 मई 1998 के अनुसार जारी निर्देशो /शर्तो का, संस्था पालन करेंगी ।

(आयुक्त द्वारा आदेशित/अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
वास्ते आयुक्त,
सामाजिक न्याय, म0प्र0

पृ. क्रमांक/नि:क–4/50/मान्यता/2012–13/ 843 भोपाल,दिनांक ~~/3/2013~~ 16-05-2013
प्रतिलिपि:–

1– कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा की ओर आपके पत्र कं 5753 दिनांक 5.3.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
2– उप संचालक, सामाजिक न्याय जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त संचालक
वास्ते आयुक्त,
सामाजिक न्याय, म0प्र0